नियम 39: इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के वितरण की प्रक्रिया

[1][(1) इनपुट सेवा वितरक रीति में और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा, अर्थात् :–

(क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय उसी मास में वितरण किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटीआर–6** में प्रस्तुत किए जाएंगे :

(ख) वितरित प्रत्यय की रकम वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी :

---

1 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा उपनियम (1) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

''**(1)** इनपुट सेवा वितरक इनपुट कर प्रत्यय का वितरक निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अध्यधीन करेगा, अर्थात् :–

(क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय को उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार **प्ररूप जीएसटीआर–6** में दिए जाएंगे;

(ख) इनपुट सेवा वितरक खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन या अन्यथा पात्र) और पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अलग से वितरित करेगा;

(ग) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार अलग से वितरित किया जाएगा;

(घ) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्राप्तिकर्ताओं में किसी एक 'आर 1' चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनको इनपुट कर प्रत्यय किया जाना है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं, जो छूट प्राप्त प्रदाय करने में लगे हुए हैं या किसी कारण से अन्यथा रजिस्ट्रीकृत नहीं है, धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार वितरित किया जाना अपेक्षित है, ''सी1'' रकम होगा, जिसे निम्नलिखित सूत्र लागू करके संगणित किया जाएगा–

$$\text{सी}_1 = (\text{टी}_1 \div \text{टी}) \times \text{सी}$$

जहां,

''सी'' वितरित किए जाने वाले प्रत्यय की रकम है,

''टी$_1$'', आर$_1$ व्यक्ति का, सुसंगत अवधि के दौरान, धारा 20 में यथा निर्दिष्ट आवर्त है, और

''टी'', सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं का, जिनके प्रति धारा 20 के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा निर्धारित की गई है, आवर्त का योग है;

(ड.) एकीकृत कर के मद्दे प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय का एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरण किया जाएगा;

(च) केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का,–

(¼i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, वितरण क्रमशः केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में किया जाएगा;

(ii) इनपुट सेवा वितरक के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी प्राप्तिकर्ता के संबंध में, वितरण एकीकृत 'कर के रूप में किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम के उस योग के बराबर होगी, जो खंड (घ) के अनुसार ऐसे प्राप्तिकर्ता के प्रति वितरण के लिए सीमित है;

(छ) इनपुट सेवा वितरक, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा, ऐसे बीजक में स्पष्टतः उपदर्शित होगा कि इसे केवल इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए जारी किया गया है;

(ज) इनपुट सेवा वितरक, किसी कारण से पहले वितरित इनुपट कर प्रत्यय को घटाए जाने की दशा में प्रत्यय को घटाएं जाने के लिए, नियम 54 के उपनियम (1) में यथा विहित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट जारी करेगा;

(झ) प्रदायकर्ता द्वारा किसी इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की किसी अतिरिक्त रकम का वितरण खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट रीति में और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा और किसी प्राप्तिकर्ता के लिए निर्धारित रकम की संगणना खंड (घ) में उपबंधित रीति में की जाएगी और ऐसे प्रत्यय का उस मास में वितरण किया जाएगा, जिसमें नामे नोट को प्ररूप जीएसटीआर–06 में विवरणी में सम्मिलित किया गया है;

(ञ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को किसी नामे नोट के जारी किए जाने के कारण घटाए जाने के लिए अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय का प्रभाजन, प्रत्येक प्राप्तिकर्ता के लिए उस अनुपात में किया जाएगा, जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय का वितरण खंड (घ) के निबंधनानुसार किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम को,–

(i) उस मास में, जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर–06** में विवरणी सम्मिलित किया जाता है, वितरित की जाने वाली रकम में से घटाया जाएगा; या

(ii) प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा, जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम ऐसे वितरण के अधीन जो, समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, प्रत्यय की रकम के आधार पर नकारात्मक है।''

(ग) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय केवल उस प्राप्तिकर्ता को वितरित किया जाएगाः''

(घ) प्रत्यय के एक से अधिक प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा जिनको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने जाने योग्य है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताआ के कुल आवर्त का अनुपाती होगा जिसको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय है।

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के कारण मानी जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताआ के कुल आवर्त का अनुपाती होगा और जो उक्त सुसंग अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय है।

(च) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय जिसे ''आरआई'' प्राप्तिकर्ताओं में से किसी एक प्राप्तिकर्ता को चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हों, ऐसे सभी कुल प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनके अंतगर्त ऐसे प्राप्तिकर्ता भी है जो छूट प्रदाय करने में लगे हुए है या अन्यथा किसी कारण से रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को खंड (घ) और खंड (ङ) के अनुसार ऐसा कर प्रत्यय जिसे वितरित किया जाना अपेक्षित है वह रकम ''सी1'' होगी जिसे निम्नलिखित सूत्र को लागू करके संगणित किया जाना है–

$सी_1=(टी_1 / टी)X सी$

जहां,

''सी'' वितरित की जाने वाली प्रत्यय की रकम है,

''$टी_1$'' सुसंगत अवधि के दौरान $आर_1$ व्यक्ति का वह आवर्त है, जो खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट है,और

''टी'' सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं कें आवर्त का योग है जिनको खंड (घ) और खंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है :

(छ) इनपुट सेवा वितरक, (घ) और खंड (ङ) के उपबंधों के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय; धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधो के अधीन अपात्र या अन्यथा) की रकम या पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को पृथक रूप से वितरित करेगा :

(ज) केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का खंड (घ) और खंड (ङ) के अनुसार पृथकतः वितरित किया जाएगा :

(झ) एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय प्रत्यय प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया जाएगा :

(ञ) **(i)** उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में केंन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय क्रमशः केंद्रीय कर, राज्य कर, या संघ राज्यक्षेत्र कर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया जाएगा :

(ii) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में केंन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय एकीकृत कर के रूप में वितरित किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केंन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम के कुल योग के बराबर होगी जो खंड (घ) और खंड (ङ) में यथा निर्दिष्ट ऐसे प्राप्तिकर्ता के लिए वितरण के लिए अर्हक है :

(ट) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा जो ऐसे बीजक में स्पष्टतः यह उपदर्शित करें कि यह इनपुट कर प्रत्यय के वितरक के लिए ही जारी किया गया है :

(ठ) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट प्रत्यय की कटौती के लिए जारी करेगा यदि पहले से ही वितरित इनपुट कर प्रत्यय किसी कारण से कम हो जाता है :

(ड) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की अतिरिक्त रकम रीति में और खंड (क) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए वितरित की जाएगी और किसी प्राप्तिकता के प्राप्त हुई मानी जा सकने वाली रकम को खंड (च) में उपबंधित रीति में संगणित किया जाएगा और ऐसा प्रत्यय उसी मास में वितरित किया जाएगा जिसमें नामे नोट **प्ररूप जीएसटीआर–6** की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है :

(ढ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को प्रत्यय नोट के जारी किए जाने के कारण कटौती किए जाने वाला अपेक्षित कोई इनपुट का प्रत्यय उसी अनुपात में प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को प्रभाजित किया जाएगा जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय खंड (च) के निबंधनानुसार वितरित किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम –

(i) उस मास में वितरित की जाने वाली रकम से घटा दी जाएगी जिसमें प्रत्यय नोट **प्ररूप जीएसटीआर–6** की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है : या

(ii) प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में वहां जोडी जाएगी इस प्रकार प्रभाजित रकम विवरण के अधिन प्रत्यय की रकम, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, के आधार पर नकारात्मक है।**]**

[2]**[(1क)** ऐसी इनपुट सेवाओं, जो [3]**[**केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की**]** धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधिन [4]**[**या एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2025 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधिन**]** कर के उद्हण के अधीन रहते हुए, एक या अधिक सुभिन्न व्यक्तियों के कारण प्राप्त हो सकने वाली मानी जा सकती है, के संबंध में प्रत्यय के वितरण के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास इनपुट सेवा वितरक के रूप में पैन और राज्य कोड है, इनपुट सेवा वितरक को ऐसी मान्यता इनपुट सेवाओं के प्रत्यय को अंतरित करने के लिए नियम 54 के उपनियम (1क) के उपबंधो के अनुसार बीजक यथास्थिति प्रत्यय या नामे नोट जारी कर सकेगा और ऐसा प्रत्यय उपनियम (1) में यथा उपबंधित रीति में उक्त इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा।**]**

(2) यदि किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित इनपुट कर प्रत्यय की रकम को किन्हीं प्राप्तिकर्ताओं के लिए किसी अन्य कारण से, जिसके अंतर्गत वह कारण भी है, कि इनपुट सेवा वितरक द्वारा दिए गए गलत प्राप्तिकर्ताओं को वितरित कर दिया गया था, बाद में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्यय के घटाए जाने के लिए उपनियम (1) के [5][खंड (ढ)] में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, इनपुट सेवा वितरक, उपनियम (1) के [6][खंड (झ)] में विनिर्दिष्ट इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के आधार पर ऐसे प्रत्यय के लिए हकदार प्राप्तिकर्ता के प्रति एक इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा और इनपुट सेवा वितरक नामे नोट तथा इनपुट सेवा वितरक बीजक को उस मास के लिए, जिसमें ऐसा प्रत्यय नोट और बीजक जारी किया गया था, **प्ररूप जीएसटीआर–06** में विवरणी में सम्मिलित करेगा।

[7]**[स्पष्टीकरण**– इस नियम के प्रायोजन के लिए,–

(i) ''सुसंगत अवधि'' पद –

(क) यदि प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त रखतें है तो उक्त वित्तीय वर्ष में : या

(ख) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं रखतें है तो उस अंतिम तिमाही जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं का ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है, उस मास जिसके दौरान प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व :

---

2 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)।

3 अधिसूचना क्रमांक 13/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.09.2025 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)।

4 अधिसूचना क्रमांक 13/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 17.09.2025 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)।

5 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा ''खंड (ञ)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)।

6 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा ''खंड (ज)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)।

7 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)।

(ii) ''प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता'' पद से माल या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है जिसके पास वैसा ही पैन संख्या है जैसे कि इनपुट सेवा वितरक के पास पैन है :

(iii) इस अधिनियम के अधिन कराधेय माल और साथ ही अकराधेय माल के प्रदान में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ''आवर्त'' पद से आवर्त का वह मूल्य अभिप्रेत है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क और उक्त अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधिन उद्‌गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम से घटाकर आता है।]